विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0026812, L0027112, L0027512, L0027812

(1) प्रकरण क्रमांक **L0026812**

मेसर्स मैकेनिकल कंस्ट्रक्टर्स — आवेदक
द्वारा पाटनर श्री मनु कौशिक,
प्लाट न. 3, सेक्टर एफ,
गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (इस्ट डिविजन), — अनावेदक
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)

तथा

अन्य एक

(2) प्रकरण क्रमांक **L0027112**

मेसर्स महादेव इण्डस्ट्रीज, — आवेदक
श्री के.के नागर,
प्लाट न. 35, सेक्टर आई,
गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)

विरूद्ध

म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल
द्वारा कार्यपालन यंत्री (सिटि डिविजन इस्ट), — अनावेदक
गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)

(3) प्रकरण क्रमांक **L0027512**

श्री डी.के. कोहली, — आवेदक
9/ई, इण्डस्ट्रीयल स्टेट,
गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)

विरूद्ध

म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल
द्वारा कार्यपालन यंत्री (सिटि डिविजन इस्ट) — अनावेदक
गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)

(4) **प्रकरण क्रमांक L0027812**
मेसर्स रचना इण्डस्ट्रीज, — **आवेदक**
श्री जयसिंह भाटी,
औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)

विरूद्ध

म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल
द्वारा कार्यपालन यंत्री (सिटि डिविजन इस्ट), — **अनावेदक**
गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)

आदेश
(दिनांक 13.06.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र (जिसे अत्र पश्चात् फोरम के नाम से संबोधित किया जाएगा) के प्रकरण क्रमांक C0113612 मेसर्स मैकेनिकल कंस्ट्रक्टर्स विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 29.08.2012, (2) प्रकरण क्रमांक C0112712 मेसर्स महादेव इण्डस्ट्रीज विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 28.08.2012, (3) प्रकरण क्रमांक C0112112 श्री डी.के. कोहली विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 17.05.2012 एवं (4) प्रकरण क्रमांक C0114412 श्री जयसिंह भाटी विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 29.08.2012 के विरूद्ध उपभोक्ता/आवेदक की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण विवाद की विषय–वस्तु समान होने से एक साथ किया जाता है ।

2. प्रकरण क्रमांक (1) C0113612 मेसर्स मैकेनिकल कंस्ट्रक्टर्स विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 29.08.2012 के मामले में उपभोक्ता ने इस आशय की शिकायत फोरम के समक्ष की थी कि वर्ष 2011 में उसे 108011/– रू. का देयक अनावेदकगण की ओर से भेजा गया । विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अनुसार 3 वर्ष से अधिक पुरानी राशि की मांग उपभोक्ता से नहीं की जा सकती । उक्त देयक 3 वर्ष से पुरानी राशि का था, अतः उक्त देयक में वर्णित राशि अनावेदक उपभोक्ता से वसूली पाने के अधिकारी नहीं है ।

3. अनावेदक की ओर से दिनांक 15.6.2012 को इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 04.03.2002 को आवेदक उपभोक्ता के परिसर का सतर्कता दल द्वारा निरीक्षण किए जाने पर उक्त परिसर का स्वीकृत भार 75 एच.पी. के स्थान पर 107 एच.पी. का लोड पाया गया था, जिसका पंचनामा तैयार कर सितम्बर 2001 से फरवरी 2002 तक की बिलिंग की गई थी, परन्तु सतर्कता द्वारा कम बिलिंग करने के कारण अंकेक्षण दल द्वारा मार्च, 2002 से दिसम्बर, 2002 तक अधिक भार पाए जाने पर अन्तर भार की गणना कर राशि 107911/– निकाली गई थी, जिसे आवेदक को जमा करना था । आवेदक ने लोड बढ़ाने की कोई कार्यवाही नहीं की थी । बार–बार स्मरण कराए जाने के बाद भी राशि जमा नहीं की गई थी ।

अतः आडिट द्वारा वसूली निकाली गई राशि को उपभोक्ता के नियमित बिल में जोड़कर आडिट द्वारा निकाली गई राशि की मांग की गई थी ।

4. प्रकरण क्रमांक (2) C0112712 मेसर्स महादेव इण्डस्ट्रियल विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में आवेदक/उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसके पास 35 एच.पी. का औद्योगिक कनेक्शन है, जिस पर कोई राशि बकाया नहीं है । अगस्त 2011 में नियमित बिल के साथ 52686/– रू. जोड़कर उसे विद्युत देयक भेजा गया, जिसके संबंध में दिनांक 12.08.11 को उसने लिखित आपत्ति पेश की, उक्त आपत्ति के पश्चात् विवादित राशि को कम कर दिया गया । सितम्बर 2011 में अनावेदक ने पिछले बकाया के रूप में विवादित राशि 52866/– में सरचार्ज की राशि जोड़कर 53522/– का देयक नियमित बिल के साथ भेजा । उसके द्वारा मौखिक आपत्ति करने पर विवादित राशि को कम नहीं किया गया है और उसे कनेक्शन विच्छेदन की धमकी देकर उससे सरचार्ज सहित 53522/– रू. अनावेदक ने प्राप्त किए । इस तरह अनावेदक ने विद्युत सप्लाई कोड की धारा 9.12 का उल्लंघन किया है, अनावेदक उससे उक्त राशि वसूल पाने का अधिकारी नहीं है ।

5. अनावेदक की ओर से उप महाप्रबंधक ने उपभोक्ता की शिकायत का जवाब दिनांक 19.05.12 को प्रस्तुत किया । अनावेदक की ओर से इस आशय की जानकारी दी गई कि आवेदक के परिसर का दिनांक 13.12.2001 को निरीक्षण किए जाने पर उसके द्वारा 35 अ.श. के स्थान पर 37 अ.श. का उपयोग किया जाना पाया गया, जिसकी बिलिंग राशि 36815 थी, जिसे आवेदक ने किश्तों में जमा कर दिया था, परन्तु उपभोक्ता द्वारा परिसर का भार इसके पश्चात् कम नहीं किया गया और भार वृद्धि हेतु कोई औपचारिकता भी नहीं की गई । वर्ष 2005 में अंकेक्षण दल द्वारा ब्लॉक वर्ष 2001–2002 का अंकेक्षण किया गया, जिसमें आवेदक ने भी 15 अ.श. के स्थान पर 37 अ.श. विद्युत संयोजन पर आडिट की राशि 52686 निकाली गई, जिसका आवेदक को जनवरी, 2005 को पृथक से बिल जारी किया गया था, जिसके अनुक्रम में आवेदक को निर्धारण राशि जमा किए जाने के लिए कहा गया, अतः अगस्त 2011 में पुनः नियमित देयक में राशि जोड़कर जमा करने का निर्देश दिया गया है ।

6. प्रकरण क्रमांक (3) C0112112 श्री डी.के. कोहली विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में आवेदक/उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसके परिसर में 90 एच.पी. का औद्योगिक विद्युत कनेक्शन है, अगस्त 2011 में उसके नियमित बिल में 39379/– रू. जोड़कर विद्युत देयक भेजा गया । दिनांक 11.08.2011 को उसने अनावेदक से उक्त विवादित राशि के संबंध में जानकारी चाही थी । अनावेदक ने दिनांक 12.09.11 को पत्र प्रेषित कर यह जानकारी दी गई थी कि दिनांक 20.02.2001 को उसके परिसर में 75 एच.पी. के स्थान पर 85 एच.पी. का भार पाया गया था । दिनांक 13.09.11 को आवेदक ने पत्र भेजकर विवादित राशि को स्थगित किए जाने का निवेदन किया । अनावेदक द्वारा विवादित

राशि कम न किए जाने पर आवेदक ने सतर्कता संसर्ग उक्त देयक में वर्णित राशि को जमा किया । विवादित राशि 20.02.2001 की बकाया होना कहा जाता है, जिसमें 2010 में 10 साल बाद मांगी गई, अतः परिसीमा नियम 3 के अन्तर्गत उक्त राशि वसूली योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के प्रावधानों के अनुसार भी उक्त राशि वसूली योग्य नहीं है । अतः आवेदक की ओर से जमा उक्त राशि वापस लौटाई जाए और उसे 2000/– रू. का खर्च दिया जाए ।

7. अनावेदक की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार फरवरी, 2001 से दिसम्बर 2002 तक की अवधि में दिनांक 20.01.2001 को निरीक्षण किए जाने पर आवेदक के स्वीकृत भार 75 एच.पी. के स्थान पर 85 एच. पी. का भार पाया गया था, जिसकी बिलिंग राशि 32185/– रू. थी, इस कारण जनरल कण्डीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई के सरकूलर की कण्डिका 31 एफ के अनुसार मांग से अधिक भार का उपयोग करने पर अतिरिक्त भार पर नियमानुसार आडिट दल ने बिल बनाया जिसे आवेदक ने स्वीकार कर उक्त राशि का भुगतान कर दिया, इसके पश्चात् आवेदक ने लोड बढ़ाने की कोई कार्यवाही नहीं की और कम लोड की टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर आडिट निरीक्षण दल द्वारा जांच करने पर उसे जोड़े हुए भार पर आगे के माह दिसम्बर 2002 तक की बिलिंग 39379/– निकाली गई, जिसे आवेदक ने पुनः स्वीकार कर दिनांक 13.09.11 को जमा कर दिया गया । पूर्व में आवेदक के अधिक लोड की खपत होने पर आवेदक ने उक्त संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी, जबकि मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कण्डिका 8.20 के अनुसार उपभोक्ता को मीटर की कम या अधिक खपत की जानकारी होने पर उसे संबंधित कार्यालय में लिखित सूचना दी जानी चाहिए, परन्तु आवेदक के द्वारा अधिक खपत होते हुए भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, इस कारण आडिट रिकवरी का बिल दिनांक 12.09.11 को जारी किया गया । विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 (2) के उपबंध दिनांक 10.06.2003 से प्रभावी हुए हैं । उक्त प्रावधानों का प्रभाव भूतलक्ष्यी नहीं है । ऐसी स्थिति में उपभोक्ता से आडिट रिकवरी की राशि वसूल की जा सकती है ।

8. प्रकरण क्रमांक (4) C0114412 मेसर्स रचना इण्डस्ट्रीज विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में आवेदक/उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि दिनांक 31.12.2004 को पत्र भेजकर अनावेदक ने आवेदक से मार्च 2001 से जनवरी, 2002 की अवधि की विवादित राशि 73042/– की मांग की थी तथा विद्युत देयक जारी किया था । वर्ष 2012 में पुनः इसी विवादित राशि की मांग की गई थी । आवेदक ने दिनांक 29.03.12 को पत्र भेजकर विवादित राशि के संबंध में पूर्ण जानकारी चाही थी, परन्तु उसको जानकारी नहीं दी गई थी । अनावेदक द्वारा वर्ष 2002 की अवधि में उपयोग किए गए विद्युत ऊर्जा के प्रभार की राशि की पहली बार 31.12.2004 को मांग की गई । ऐसी स्थिति में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अनुसार 31.12.2006 तक ही विवादित राशि की मांग की जा सकती थी, इसके बाद

विवादित राशि अवधिबाधित होने से नहीं मांगी जा सकती थी, अतः उक्त राशि को अनावेदक आवेदक से वसूल किए जाने योग्य नहीं है ।

9. अनावेदक की ओर से दिनांक 15.06.12 को इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 2001–2002 में सतर्कता दल द्वारा दिनांक 21.01.2001 को आवेदक के परिसर का निरीक्षण किया गया था। उक्त परिसर का निरीक्षण करने पर स्वीकृत भार 60 अ.श. के स्थान पर 79.9 अ.श. का लोड पाया गया था, जिसके आधार पर पंचनामा तैयार कर जनवरी 2002 तक की बिलिंग की गई थी, परन्तु सतर्कता दल द्वारा कम बिलिंग करने के कारण अंकेक्षण दल द्वारा मार्च 2002 से नवम्बर 2002 तक कुल 8 माह का अधिक भार पाये जाने पर अन्तर भार की गणना करने पर राशि 73042/– निकाली गई थी, जिसे आवेदक को जमा करना आवश्यक था, परन्तु आवेदक ने न तो लोड बढ़ाने बाबत् कोई कार्यवाही की न आडिट द्वारा निकाली गई राशि को जमा किया । अतः अनावेदक आवेदक से उक्त राशि पाने का अधिकारी है ।

10. प्रकरण क्रमांक C0113612 मेसर्स मैकेनिकल कंस्ट्रक्टर्स विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में फोरम ने यह निर्णय दिया कि :– *''आवेदक द्वारा आडिट दल द्वारा निकाली राशि को सिर्फ कालातीत हो जाने के कारण अमान्य करने की मांग की है । आवेदक द्वारा निकाली राशि की गणना के बारे में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है ।*

उभयपक्षों की दलील सुनने के बाद फोरम निम्नलिखित निर्णय पर पहुंचा है कि :–

(i) चूंकि प्रकरण में उपभोक्ता की मांग की गई राशि आडिट द्वारा आकलन खपत की गणना के आधार पर वर्ष 2001–2002 के बीच निकाली गई है ।

(ii) इतने लम्बे अंतराल के बाद आडिट द्वारा निकाली गई राशि का उपभोक्ता से वर्ष – 12 में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांग किया जाना विद्युत संहिता 2003 एवं विनियम 2004 की धारा 9.17 एवं 11.10 के परिप्रेक्ष्य में अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति से सप्लाई कोड 2004 की धारा 11.10 के तहत वृत्त स्तर अधिकारी प्रभावित होने वाले उपभोक्ता से सद्भावना पूर्वक व्यवहारिक आधार पर निर्णय लेंगे, फोरम इस प्रकरण में वृत्त प्रभारी को विस्तृत विवेचना कर निम्न लिखित बातों का संज्ञान लेकर कार्यवाही करने हेतु आदेशित करता है ।

(1) आडिट द्वारा निकाली गई राशि जो कि सामान्यतः संबंधित अधिकारी के सहमत होने पर निर्धारित समय–सीमा में उपभोक्ता से वसूली हेतु मांग की जाती है, का पालन नहीं हो सकने के क्या कारण हैं ।

(2) पुराने रिकार्ड से ये भी सुनिश्चित करेंगे, कि कहीं इंगित राशि की वसूली पूर्व में ही तो नहीं कर ली गई है, जिसका सत्यापन अनावेदक द्वारा, प्रकरण की सुनवाई के दौरान नहीं किया गया है ।

(3) निर्देशित है, यह देखकर कि प्रभावित होने वाले पक्ष द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण पर यथासंभव ध्यान दिया गया है तथा निर्णय प्रचलित संहिता एवं विनियम की वर्णित धाराओं 9.12, 9.17, 10.10 एवं 11.14 के अनुरूप है, तद्नुसार उचित निर्णय लिया जावे ।

निर्णय से असहमत होने की दृष्टि में विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 9.17 के अंतर्गत उपभोक्ता स्थानीय क्षेत्र प्रभारी को अपील कर सकेंगे, जिनका निर्णय सामान्यतः मान्य होगा । वृत्त प्रभारी 14 दिन में निर्णय से उपभोक्ता एवं फोरम को सूचित करे । उपभोक्ता की समस्या का निराकरण उपरोक्तानुसार न होने तक यथास्थिति बनाये रखी जाए, तथा न्यायसंगत निर्णय हो जाने तक उपभोक्ता का कनेक्शन 09 वर्ष पुरानी आडिट रिकव्हरी के कारण विच्छेदित न किया जावे एवं नियमित विद्युत देयक में आडिट रिकव्हरी की राशि जो कि विद्युत विनियम, 2004 की धारा 9.12 के अंतर्गत नियमित बिल के साथ न जोड़ी जावे । ''

11. इसी तरह का निर्णय प्रकरण क्रमांक C0112712, प्रकरण क्रमांक C0112112 तथा प्रकरण क्रमांक C0114412 में दिया गया है ।

12. चारों प्रकरणों में उपभोक्ता की शिकायत तथा अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी का उत्तर तथा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि उपभोक्ता को वर्ष 2000–2001 में उसके द्वारा उपयोग किए गए विद्युत ऊर्जा के प्रभार की मांग इस आधार पर की गई है कि उपभोक्ता के द्वारा स्वीकार भार से अधिक भार का उपयोग अपने परिसर में किया गया था । विद्युत वितरण कम्पनी के अंतरिम अंकेक्षण दल द्वारा यह पाया गया था कि अतिरिक्त भार के लिए निर्धारित टैरिफ के अनुसार विद्युत प्रभार की वसूली नहीं की गई है, अतः वर्ष 2011 में उपभोक्ता से ऐसे प्रभार की मांग का देयक जारी किया गया था । उक्त देयक के संबंध में उपभोक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति की गई है कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56(2) के प्रावधानों के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के पश्चात् ऐसे प्रभार की मांग उपभोक्ता से नहीं की जा सकती है । उपभोक्ता की इस आपत्ति पर अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से यह आपत्ति की गई है कि विवादित राशि विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान लागू होने के पूर्व की है । अतः भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56(2) के प्रावधान ऐसे देयकों के संबंध में लागू नहीं होंगे । फोरम ने अपने निर्णय में उक्त विधिक बिन्दु के संबंध में निश्चित निष्कर्ष नहीं दिया है । फोरम के आदेश का अवलोकन करने से इस बिन्दु पर कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी नियमानुसार उपभोक्ता से उक्त राशि वसूली पाने की अधिकारी है अथवा नहीं ?

उक्त तथ्य के परिपेक्ष्य में विचारणीय प्रश्न यह है कि – क्या उपभोक्ता के परिसर में स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किया जाना पाए जाने के कारण अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी उपभोक्ता को उक्त अवधि में उपभोग किए गए ऊर्जा के अंतरिम प्रभार की मांग कर सकती हैं ?

<u>कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :–</u>

13. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि विवादित राशि वर्ष 2000–2001 में उपयोग किए गए विद्युत ऊर्जा के प्रभार की राशि है, जिसका विद्युत देयक वर्ष 2011 में जारी किया गया है । भारतीय विद्युत अधिनियम उक्त अवधि में प्रभावशील नहीं था । विवादित अवधि में विद्युत अधिनियम 1910 प्रभावशील था तथा उक्त अवधि में मध्यप्रदेश ऊर्जा अधिनियम 2001 तथा मध्यप्रदेश ऊर्जा नियम 2001 प्रभावशील थे ।

14. मध्यप्रदेश ऊर्जा अधिनियम 2001 की धारा 2 के खण्ड – ध में ऊर्जा के अपराधिकृत उपयोग को परिभाषित किया गया है तथा धारा 3 में ऊर्जा के अपराधिकृत उपयोग के प्रतिषेध को परिभाषित किया गया है । मध्यप्रदेश ऊर्जा अधिनियम 2001 की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश ऊर्जा नियम 2001 बनाए गए हैं । उक्त नियम के नियम 3 में ऊर्जा के अपराधिकृत उपयोग का अवधारण किया गया है । मध्यप्रदेश ऊर्जा अधिनियम 2001 तथा मध्यप्रदेश ऊर्जा नियम 2001 के उक्त प्रावधानों का अवलोकन करने से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि संविदा मांग में अभिवृद्धि ऊर्जा के अपराधिकृत उपयोग की परिधि में आता है । विधि के उक्त प्रावधानों के परिपेक्ष्य में उक्त चारों प्रकरणों में उपभोक्ता द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार का अर्थात् संविदा मांग से अधिक भार के विद्युत का उपयोग किए जाना ऊर्जा के अपराधिकृत उपयोग की परिधि में आता था । ऐसी स्थिति में जब विद्युत मण्डल के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण करने पर उसके द्वारा विद्युत का अपराधिकृत उपयोग किए जाना पाया गया था तब मध्यप्रदेश ऊर्जा अधिनियम 2001 की धारा 5 तथा मध्यप्रदेश ऊर्जा नियम 2001 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किए जाना वांछित था, परन्तु उक्त चारों प्रकरणों में मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल की ओर से उपभोक्ता के विरूद्ध उक्तानुसार कार्यवाही नहीं की गई थी तथा विद्युत प्रभार को अनंतिम रूप से निर्धारित नहीं किया गया था । म.प्र. विद्युत मण्डल के द्वारा म.प्र. ऊर्जा अधिनियम 2001 तथा म.प्र. ऊर्जा नियम 2001 के प्रावधानों के अनुसार तत्समय कार्यवाही न किए जाने से विद्युत मण्डल की उत्तराधिकारी विद्युत वितरण कम्पनी के अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति किए जाने मात्र से विद्युत मण्डल अथवा विद्युत मण्डल के उत्तराधिकारी विद्युत वितरण कम्पनी को उपभोक्ता से विद्युत का अपराधिकृत उपयोग किए जाने के आधार पर अतिरिक्त राशि को वसूल करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है ।

15. इन तथ्यों से स्पष्ट है कि भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान लागू होने के पूर्व भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के प्रावधान प्रभावशील थे । जब विद्युत अधिनियम 1910 के प्रावधान प्रभावशील थे उस समय म.प्र. ऊर्जा अधिनियम 2001 निर्मित किए गए थे । किसी उपभोक्ता द्वारा विद्युत का अनाधिकृत

उपयोग किया जाना पाए जाने पर उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना वांछित था – नियमानुसार ऐसी कार्यवाही किए बिना विद्युत ऊर्जा का अनाधिकृत उपयोग किए जाने पर भी उपभोक्ता से अतिरिक्त ऊर्जा के प्रभार की मांग नहीं की जा सकती है ।

16. यहां इस तथ्य पर विचार किया जाना उचित होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के प्रभावशील होने के पश्चात् विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत देयक जारी किया गया है । जिन न्याय दृष्टांतों का उदाहरण विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दिया गया है उन न्याय दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि विद्युत अधिनियम 2003 के प्रभावशील होने के पूर्व यदि विद्युत का देयक उपभोक्ता को दिया गया है उस स्थिति में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के प्रावधान प्रभावशील नहीं होंगे, परन्तु उक्त तीनों मामलों में उपभोक्ता को पहली बार विवादित विद्युत देयक विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान प्रभावशील होने के पश्चात् जारी किए गए हैं, ऐसी स्थिति में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 (2) के प्रावधान प्रभावशील होगा, माना जावेगा । चारों प्रकरणों में उपभोक्ता को विद्युत देयक धारा 56(2) में निर्धारित परिसीमा काल समाप्त होने के पर्याप्त समय बाद जारी किए गए हैं जो प्रथमदृष्टि अधिनियम की धारा 56 (2) के प्रावधानों के उल्लंघन में जारी किया जाना पाए जाते हैं । अतः इस आधार पर भी विद्युत वितरण कम्पनी को उपभोक्ता से विवादित राशि वसूल पाने के अधिकारी होना नहीं पाया जाता है ।

17. उपरोक्त विवेचन से यह साबित होता है कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी चारों उपभोक्ताओं से विवादित राशि वसूली पाने की वैधानिक रूप से अधिकारी नहीं है । अतः उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी उक्त चारों उपभोक्ताओं को जो विवादित विद्युत देयक जारी किया है उन देयक में वर्णित राशि उपभोक्ता से वसूली पाने के अधिकारी नहीं है । यदि उपभोक्ता द्वारा उक्त मद में कोई राशि जमा की गई हो तो वह राशि उपभोक्ता को 3 माह के अन्दर वापस की जाए अथवा उसका समायोजन उपभोक्ता के आगे वाले देयकों में किया जावे ।

18. यह भी आदेश दिया जाता है कि उक्त विवादित देयकों का भुगतान न करने के कारण उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित न किया जाए ।

19. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल